

राजस्थान सरकार
कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 9027-31

दिनांक: 1-3-13

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के श्री कैलाश चन्द नाटाणी, कनिष्ठ लेखाकार प्रतिनियुक्ति से वापसी पर राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर से कार्यमुक्त होकर आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर में दिनांक 16.01.2013 से 29.01.2013 तक उपस्थित रहे। श्री नाटाणी को राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर में आदेश संख्या 268 / 2012-13 दिनांक 29.01.2013 के द्वारा पदस्थापित कर दिया गया।

आदेशों की प्रतीक्षा अवधि दिनांक 16.01.2013 से 29.01.2013 को राजस्थान सेवा नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करने हेतु वित्त विभाग से प-2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 25.02.2013 से स्वीकृति प्राप्त की गई। अतः श्री कैलाश चन्द नाटाणी, कनिष्ठ लेखाकार की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का भुगतान निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर के कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा दी जाती है।


निदेशक

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 9027-31

दिनांक: 1-3-13

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मी का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
2. प्रभारी, एनआईसी, वित्त भवन, जयपुर को आदेश अपलोड करने हेतु (Sub-APO Salary drawing permission)
3. डेस्क आफिसर (द्वितीय) कार्यालय हाजा
4. श्री कैलाश चन्द नाटाणी, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
5. निजी सहायक, निदेशक
6. निजी पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)